



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269062
CG-DL-E-02012026-269062

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2026/पौष 12, 1947

No. 21]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2026/PAUSA 12, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2026

का.आ. 21(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 46क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 9 जनवरी, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उपराज्यपाल द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धन “राजधानी का लोक लेखा” शीर्षक लोक लेखा में जमा किया जाएगा।

[फा. सं. यू.-11019/3/2025-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2026

S.O. 21(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46A of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992), the Central Government hereby appoints the 9th day of January, 2026 as the date on which all other public moneys received by or on behalf of the Lieutenant Governor shall be credited to a Public Account entitled “the Public Account of the Capital”.

[F. No. U-11019/3/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.